न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 66/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00182

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. तीजा पत्नी स्व. ढगलाराम जाति सीरवी निवासी हेमलियावास खुर्द तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		1. कानसिंह पुत्र बाबुसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सिनला तहसील मारवाड जंक्शन 2. राजेश पंवार पुत्र मीठालाल जाति मालवीय निवासी मारवाड जंकशन तहसील मारवाड जंक्शन 3. ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द तहसील मारवाड जंक्शन

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 21.6.2024

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत हेमलियाबास खुर्द द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.10.1986, की पालना में बाबुसिंह पुत्र लालसिंह के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम हेमलियाबास खुर्द में प्रार्थीया के अधिकार एव आधिपत्य का 20 बाई 20 वर्गगज क्षेत्रफल का भूखण्ड स्थित है जिसके पडौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में पंचायत रा थाला, उत्तर दिशा में श्रवणसिंह रा थाला एवं दक्षिण दिशा में रास्ता अंकित है, जिस पर प्रार्थीया के ससुर रूपाराम पुत्र गुमनाराम का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। जिनके द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किये जाने पर मिसल संख्या 3 दिनांक 02.01.1985 कायम की गई जिसकी पालना में संकल्प संख्या 10 पारित किया जाकर पट्टा जारी किया गया। उपरोक्त पट्टाधारक की मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी का एकमात्र विधिक अधिकारी प्रार्थीया ही है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 व उसक पिता ने कब्जा करने की नियत से प्रार्थीया की बाउण्ड्री दिवार तोडकर नयी दिवार बना दी, जिसके सम्बन्ध में पुलिस थान में रिपोर्ट एवं

अति. जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

सिविल न्यायालय मारवाड जंक्शन में सिविल वाद भी दर्ज करवा रखा है। उक्त सिविल वाद में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने प्रार्थीया को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई, जिसे रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.04.2019 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय कर दी। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई प्रस्ताव लिया गया और न ही उस दिनांक को कोई बैठक आयोजित हुआ। साथ ही जैर निगरानी पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर भी प्रथमदृष्टया फर्जी प्रतीत होते है। जैर निगरानी भूखण्ड निलामी के जरिये विक्रय होना बताया है, जबकि दिनांक 06.10.1986 के पूर्व इस भूमि पर कभी भी निलामी नहीं हुई है न ही इस सम्बन्ध में कोई रसीद या रेकर्ड उपलब्ध है तथा ग्राम पंचायत जैर आराजी का विक्रय रूपाराम के पक्ष में करने का निर्णय दिनांक 25.08.1986 को लिया जा चुका था। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा जो अप्रार्थी संख्या 1 के पिता बाबूसिंह के पक्ष में जारी किया गया था। उक्त आराजी विक्रय मेरे द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.04.2019 से अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि ग्राम हेमलियावास खुर्द में प्रार्थी के अधिकार एवं आधिपत्य का ऐसा कोई भूखण्ड स्थित नहीं है। प्रार्थीया द्वारा जो पट्टा, मिसल संख्या 3 दिनांक 02.01.1985 प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 25.08.1986 की पालना में दिनांक 10.10.1986 को जारी होना बताया है वह कभी भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा न ही इस पट्टे में कोई पट्टा नम्बर दर्ज है। प्रार्थीया ने मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया है और न ही अप्रार्थी द्वारा कोई बाउण्ड्री दिवार तोडी गयी है। साथ ही प्रार्थी द्वारा दर्ज एफ.आई.आर को भी अनुसंधान में पुलिस द्वारा गलत व झुठी होना प्रमाणित पाया है। जैर निगरानी पट्टे में अप्रार्थी की निर्माण सामग्री पडी है तथा निर्माण हेतु ग्राम पंचायत से इजाजत ले रखी है। प्रार्थीया द्वारा निगरानी में अंकित भूखण्ड का नाप 20 बाई 20 को होना बताया है जो कि मौके पर उपलब्ध नहीं है। जब ग्राम पंचायत ने बाबूसिंह के पक्ष में जैर निगरानी पट्टे का निष्पादन कर दिया तो प्रार्थीया के ससुर के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा कैसे जारी कर सकते है। जैर निगरानी पट्टे के पश्चिम दिशा में पडौसी जमाल खा है तथा जमाल खा के पट्टे की पूर्व दिशा में बाबुसिंह का थाला अंकित है जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधिसम्मत तरीके से जारी किया गया है अतः जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत हेमलियाबास खुर्द द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.10.1986 की पालना में बाबुसिंह पुत्र लालसिंह के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल 25 गज बाई 20 गज अर्थात् 50 फुट बाई 40 फुट है जिसकी चतुर्दशी पूर्व दिशा में गली, पश्चिम दिशा में जमाल खां, उत्तर दिशा में श्रवणसिंह का थाला तथा दक्षिण दिशा में गली है, जिसे अप्रार्थी संख्या

अति. जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.04.2019 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से क्रय किया था। पत्रावली के संलग्न जैर आराजी भूखण्ड का एक अन्य पट्टा जो ग्राम पंचायत हेमलियाबास खुर्द द्वारा रूपाराम पुत्र गुमनाराम जाति सिरवी के पक्ष में दिनांक 10.10.1986 को जारी किया गया है, के पडौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में प. का थाला, उत्तर दिशा में श्रवणसिंह का थाला तथा दक्षिण दिशा में आम रास्ता अंकित है, जिसका क्षेत्रफल 20 गज बाई 20 गज अर्थात् 40 फुट बाई 40 फुट है।

न्यायालय सिविल न्यायाधीश मारवाड जंक्शन के वाद संख्या 63/2019 में जैर आराजी के सम्बन्ध में नियुक्त मौका कमिश्नर की कमिश्नर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार जैर आराजी भूखण्ड 50 फुट बाई 40.8 फुट का है। जिसके उत्तर दिशा में खाली प्लॉट है जिसमें सरीया बजरी पत्थर आदि है, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में आम रास्ता तथा पश्चिम दिशा में जमाल खा का पुरानी बाउण्ड्री सुदा प्लॉट आया हुआ है। उक्त प्लॉट के अन्दर एक पानी का हौद बना हुआ है, जिसमें कुछ पानी है व कुछ खण्डे भी पडे है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा जो रूपाराम के पक्ष में दिनांक 10.10.1986 को जारी किया गया है, में अंकित भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं उसमें अंकित पडौस, मौका रिपोर्ट से भिन्न है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे में अंकित भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं पडौस, मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के समान ही है। जिससे यह ज्ञात होता है कि जैर निगरानी पट्टा विधिनुसार सही एवं सत्य होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

ग्राम पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.01.2019 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को जैर निगरानी भूखण्ड पर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 28.06.2019 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 राजेश पंवार को रजिस्ट्री सुदा प्लॉट जिस पर मकान बना हुआ है में नल कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन एवं गटर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में जैर आराजी भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का ही कब्जा है और उसका मकान बना हुआ है जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक अन्य पट्टा जो जमाल खां के पक्ष में दिनांक 05.06.1982 को निष्पादित किया गया था, में अंकित पडौस अनुसार पूर्व दिशा में बाबुसिंह का थाला स्थित है। जैर निगरानी पट्टा जो बाबूसिंह के पक्ष में दिनांक 06.10.1986 को जारी किया गया है, में पश्चिम दिशा में जमाल खां अंकित है जबकि जैर आराजी भूखण्ड का पट्टा जो जो रूपाराम के पक्ष में दिनांक 10.10.1986 को जारी किया गया है कि चतुर्दशी में कही पर भी जमाल खां अंकित नहीं है। यदि जैर आराजी भूखण्ड का पट्टा रूपाराम के पक्ष में जारी हुआ होता तो पश्चावर्ती जमाल खां के पक्ष में जारी पट्टे की पूर्व दिशा में रूपाराम का नाम अंकित होता, परन्तु ऐसा नहीं है। जिससे यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा विधिनुसार जारी किया है जो सही है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार जैर आराजी भूखण्ड का क्षेत्रफल 50 फुट बाई 40.8 फुट है तथा इसके पडौस में पश्चिम दिशा में जमाल खा का पुरानी बाउण्ड्री सुदा प्लॉट आया है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल एवं

अति. जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

उसमें अंकित पडौस मौका रिपोर्ट के समान है जबकि जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा जो रूपाराम के पक्ष में जारी किया गया है, का क्षेत्रफल एवं उसमें अंकित पडौस, मौका रिपोर्ट से भिन्न है। साथ ही जमाल खां के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 05.06.1982 के पूर्व दिशा में भी जैर निगरानी पट्टाधारक बाबूसिंह का नाम अंकित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृती भी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी की गयी है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा विधिसम्मत होने से इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत हेमलियाबास खुर्द द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.10.1986 की पालना में बाबुसिंह पुत्र लालसिंह के पक्ष में जारी पट्टे को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत को माफिक पालनार्थ भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner